



दिनांक : 19.01. 2022

एम.एड. पाठ्यक्रम शैक्षिक सत्र 2021-23 में रिक्त सीटों पर सीधे प्रवेश हेतु नियम-निर्देश

एतदद्वारा सर्वसंबंधित को सूचित किया जाता है कि शैक्षिक सत्र 2021-23 हेतु एम.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु काउन्सिलिंग के उपरान्त महाविद्यालय में रिक्त रह गयी सीटों पर मा. कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में सीधे प्रवेश किये जाने का निर्णय लिया गया है। सीधे प्रवेश हेतु प्रक्रिया निम्नलिखित है-

1. सम्बद्ध महाविद्यालय द्वारा 27 जनवरी 2021 तक रिक्त सीटों पर सीधे प्रवेश लिया जायेगा।
2. सामान्य रैंक 01 से 840 तक अभ्यर्थी का ही सीधे प्रवेश लिया जा सकता है। अर्ह अभ्यर्थियों की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट पर प्रदर्शित की जा रही है।
3. सम्बद्ध महाविद्यालय द्वारा लिये गये सीधे प्रवेशित अभ्यर्थियों के अर्हता अंक-पत्र/प्रमाण पत्र को जांच समिति के समक्ष रखा जायेगा। समिति के सत्यापन/संस्तुति एवं मा० कुलपति जी के अनुमोदन के उपरान्त ही प्रवेश मान्य होगा।
4. सम्बद्ध महाविद्यालय सीधे प्रवेशित अभ्यर्थियों से काउन्सिलिंग शुल्क के रूप में नगद रु 500=00 (नान रिफण्डेबल) प्रति अभ्यर्थी से प्राप्त करेगा। उक्त धनराशि विश्वविद्यालय के लेखा काउण्टर पर महाविद्यालय द्वारा जमा करना होगा।
5. अभ्यर्थियों के लिये प्रपत्र "क" (शपथ-पत्र) का प्रारूप इस आशय से विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित किया जा रहा है कि अभ्यर्थी प्रपत्र "क" को वेबसाईट से डाउनलोड कर दो प्रतियों में अलग-अलग पूरित कर अपने समस्त शैक्षिक प्रपत्रों तथा एम.एड. प्रवेश परीक्षा के प्रवेश पत्र की छाया प्रति (स्वप्रमाणित) के साथ सम्बद्ध महाविद्यालय में प्रवेश के समय (अधिकतम 27 जनवरी 2022 तक) जमा करें।
6. सम्बद्ध महाविद्यालय द्वारा प्रवेशित अभ्यर्थियों की सूची (समस्त शैक्षिक प्रपत्रों एवं विश्वविद्यालय के लेखा काउण्टर पर जमा रसीद सहित) दिनांक 29 जनवरी 2022 तक विश्वविद्यालय के प्रवेश सेल में प्रवेश सत्यापन/अनुमोदन हेतु जमा करना होगा।
7. सामान्य वर्ग के EWS अभ्यर्थियों का सीधे प्रवेश राज्य सरकार द्वारा जारी शासनादेश एवं नियमावली के अनुरूप मान्य होगा।

उक्त निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाय।

सहायक कुलसिचव
प्रवेश सेल